प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2026

पुलिस अधीक्षक गोण्डा निर्देशन में पुलिस कार्यालय सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी के नेतृत्व में जनपद के यक्ष एप के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर सीसीटीएनएस कर्मियों के साथ समीक्षा बैठक आयोजित–

गोण्डा। पुलिस अधीक्षक गोंडा के निर्देशन में आज दिनांक 29.01.2026 को पुलिस कार्यालय स्थित सभागार कक्ष में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के नेतृत्व में सीसीटीएनएस कर्मियों के साथ यक्ष एप के प्रभावी क्रियान्वयन एवं समीक्षा हेतु एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के दौरान अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी द्वारा यक्ष एप के उद्देश्य, उपयोगिता एवं इसके माध्यम से पुलिस कार्यप्रणाली में पारदर्शिता, त्वरित सूचना संप्रेषण एवं डिजिटल सुदृढ़ीकरण पर विस्तार से प्रकाश डाला गया। उन्होंने सभी सीसीटीएनएस कर्मियों को निर्देशित किया कि यक्ष एप में समस्त सूचनाएं समयबद्ध, शुद्ध एवं पूर्ण रूप से प्रविष्ट की जाएं, जिससे जनपद स्तर पर अपराध नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जा सके। बैठक में यक्ष एप के संचालन के दौरान आ रही तकनीकी समस्याओं, डाटा अद्यतन, लॉगिन संबंधी कठिनाइयों तथा उनके त्वरित समाधान पर भी विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही अथवा विलंब न हो तथा एप के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं का सतत पर्यवेक्षण किया जाए।

यक्ष एप उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा विकसित एक महत्वपूर्ण डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसका उद्देश्य पुलिस कार्यप्रणाली को अधिक सुदृढ़, पारदर्शी एवं प्रभावी बनाना है। इस एप के माध्यम से सूचनाओं का त्वरित संकलन, विश्लेषण एवं निगरानी संभव हो पाती है, जिससे कानून व्यवस्था एवं अपराध नियंत्रण में उल्लेखनीय सहायता मिलती है। यक्ष एप के उपयोग से जनपद स्तर पर विभिन्न पुलिस गतिविधियों से संबंधित डाटा का रियल–टाइम अपडेट प्राप्त होता है, जिससे वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा प्रभावी पर्यवेक्षण एवं त्वरित निर्णय लिया जा सकता है। यह एप अपराध संबंधी सूचनाओं, कार्रवाई विवरण, विवेचनात्मक प्रगति एवं फील्ड रिपोर्टिंग को एक ही डिजिटल मंच पर उपलब्ध कराता है। यक्ष एप के माध्यम से मैनुअल रिपोर्टिंग प्रणाली पर निर्भरता कम होती है, जिससे कार्य में समय की बचत के साथ–साथ त्रुटियों की संभावना भी न्यूनतम हो जाती है। एप में दर्ज डाटा भविष्य में विश्लेषण हेतु सुरक्षित रहता है, जिससे अपराध के पैटर्न को समझने एवं नीतिगत सुधार करने में सहायता मिलती है। इसके अतिरिक्त, यक्ष एप से पुलिसकर्मियों की जवाबदेही सुनिश्चित होती है तथा शासन स्तर पर पारदर्शिता को बढ़ावा मिलता है। यह एप डिजिटल पुलिसिंग की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

मीडिया सेल, गोण्डा।

प्रेस नोट
दिनांक 29.01.2026

‘ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत प्रभावी पैरवी से नाबालिग लडकी के साथ छेडछाड करने के आरोपी अभियुक्त को हुई 03 वर्ष का कारावास व रूपये 15,000/– अर्थदण्ड की सजा–

दिनांक 23.09.2022 को थाना मोतीगंज क्षेत्रान्तर्गत रहने वाले एक व्यक्ति द्वारा थाना मोतीगंज में लिखित तहरीर दी गयी कि उनकी नाबालिग लड़की के साथ विपक्षी रोहित कुमार पुत्र सुन्दरलाल नि0 कहोबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा द्वारा स्कूल जाते समय छेड़छाड़ की जाती है। वादी की लिखित तहरीर के आधार पर थाना मोतीगंज में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। जिसमें मोतीगंज पुलिस द्वारा रोहित कुमार को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया। तत्कालीन विवेचक द्वारा साक्ष्य संकलन व विवेचनात्मक कार्यवाही के उपरान्त अभियुक्त के विरूद्ध आरोप पत्र दिनांक 16.11.2022 को माननीय न्यायालय में प्रेषित किया गया।

दोषसिद्धि का विवरण–
श्रीमान् पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 लखनऊ के आदेश के क्रम एवं श्रीमान् पुलिस अधीक्षक गोण्डा के निर्देशन में ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत चिन्हित अपराधों में दोषी अभियुक्तों के विरुद्ध माननीय न्यायालय द्वारा अधिकतम/त्वरित दंडात्मक कार्यवाही हेतु जनपदीय पुलिस द्वारा विशेष अभियान चलाया जा रहा है जिसके क्रम मे आज दिनांक 29.01.2026 को उक्त अभियोग में अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश पाक्सो एक्ट महोदय श्री निर्भय प्रकाश द्वारा मॉनिटरिंग सेल, अभियोजक श्री सुनील मिश्रा, कोर्ट मोहर्रिर म0का0 वंदना व थाना मोतीगंज की पैरोकार म0आ0 सारिका की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप दोषी अभियुक्त रोहित कुमार को 03 वर्ष का कारावास व 15,000/– रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

अभियुक्त का नाम पता–
01. रोहित कुमार पुत्र सुन्दरलाल नि0 कहोबा थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–
01. मु0अ0सं0–232/2022, धारा 354 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना मोतीगंज जनपद गोण्डा।

मीडिया सेल, गोण्डा।